

159



समिक्ष, न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कम्प सागर ep.15/-

पुनरीक्षण क्रमांक : निगा -1648 - I - 16

प्रस्तुति दिनांक :

B.O.R. 17/5/16

1 MAY 2016

1. उमेश नारायण श्रीवास्तव
निवासी मकान नं. 160, फूटाताल, लाल स्कूल के पास, जबलपुर
 2. श्रीमान बहादुर वल्द स्व. सुरेन्द्र बिहारी श्रीवास्तव
 3. नीलमणि पुत्री स्व. सुरेन्द्र बिहारी श्रीवास्तव
 4. रानूमणि पुत्री स्व. सुरेन्द्र बिहारी श्रीवास्तव
 5. अल्पना पुत्री स्व. सुरेन्द्र बिहारी श्रीवास्तव
- सभी निवासी गैसाबाद, पो.आ. गैसाबाद, तहसील हटा
जिला दमोह (म.प्र.) ... पुनरीक्षणकर्ता

कार्यालय कमिश्नर, सागर तम्बाग, सागर (म.प्र.)

36
12/05/16

//बनाम//
बिजेन्द्र प्रसाद उम्र 78 वर्ष आत्मज स्व. दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी ग्राम गैसाबाद, पो.आ. गैसाबाद, तहसील हटा
जिला दमोह (म.प्र.) उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 के तहत।

पुनरीक्षण खिलाफ- न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, हिनौता
मंडल तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा रा.प्र.क्र. 14अ/27, वर्ष
.2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4.4.2016 के बावत्।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त विवरण:-



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-1648-एक/2016

जिला-दमोह

उमेश नारायण श्रीवास्तव आदि विरुद्ध बिजेन्द्र प्रसाद

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 22-08-2019 | <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार हिनौता मंडल, तहसील हटा, जिला-दमोह के प्रकरण क्रमांक 14/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-04-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | |

(जे०के० जैन)
सदस्य